न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 958/2019 निर्णय दिनांक :– 25.2.20

उनवान

1. शिवजीदास स्वामी पुत्र श्री चन्दा जाति स्वामी, निवासी – ग्राम बाजडोली, तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––वादी

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जारिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––प्रतिवादी

<u>दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार सै पेश किया गया कि वाके ग्राम सूरजपुरा उर्फ टूटोली, तहसील चाकसू जिला जयपुर में खाता सं. 506 में खसरा नंबर 544 रकबा 1.13 है0, खसरा नंबर 729 रकबा 0.38 है0, खसरा नंबर 729/2862 रकबा 0. 73 है0, खसरा नंबर 733 रकबा 0.55 है0, खसरा नंबर 734 कब 0. 50 है0, कुल किता 05 कुल रकबा 3.29 है0 स्थित है। जिसकी खातेदारी वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड में अंकित व स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजी वादी की संपत्ति है जब वादी के उक्त आराजी का नामान्तकरण खुला तो वादी का श्योजीदास चेला चन्दा दास के रूप में अंकित कर दिया गया जंबकि वादी का वास्तविक नाम शिवजीदास स्वामी पुत्र चन्दा दास है वादी को गांव में श्योजीदास कहकर भी पुकारा जाता है। उसी वजह से नामान्तकरण में राजस्व कर्मचारियों ने श्योजीदास चेला चन्दा दास अंकित कर दिया जबकि वादी के तमाम दस्तावेजात शिवजीदास स्वामी पुत्र चन्दा दास के नाम से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है। वादी के समस्त कागजात पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स इत्यादि शिवजीदास पुत्र चन्दा दास के नाम से बने हुये है। उक्त नामान्तकरण में सहवन से शिवजीदास स्वामी पुत्र चन्दा दास की जगह श्योजीदास चेला चन्दा दास कर दिया गया जो दुरूस्त किये

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जाने योग्य है। इस प्रकार वादी का नाम में श्योजीदास चेला चन्दा दास की किन जगह शिवजीदास स्वामी पुत्र चन्दा दास अंकित किया जाना आवश्यक है। शिवजीदास स्वामी व श्योजीदास नाम का ऐक ही व्यक्ति ग्राम बाजडोली, तहसील चाकसू में है केवल वादी का नाम शिवजीदास स्वामीपुत्र चन्दा दास की जगह श्योजीदास चेला चन्दा दास नामान्तकरण तस्दीक करते वक्त राजस्व कर्मचारियो द्वारा कर दिया गया जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त दुरूस्ती के बिना वादी अपनी अपनी जमीन पर मिलने वाली राजकीय लाभो, ऋणो इत्यादि से वंचित है वादी ने अपनी आराजी भूमि पर कृषि ऋण लेने हेतु जमाबंदी निकलवायी तो नाम अशुद्ध होने का पता चला तब नाम शुद्ध करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन उक्त मे श्रीमान तहसीलदार सहाब ने सक्षम न्यायालय से नाम दुरूस्त करवाये जाने बाबत हिदायत दी इसलिये वादी को उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ। वाद कारण किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये जमीन की जमाबंदी निकलवाई तब तहसीलदार जी ने वादी को नाम गलत होने पर सक्षम न्यायालय से दुरूस्त करवाने हेतु हिदायत दी गई तब उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। दावा वादी बहक प्रतिवादी डिक्री किंया जाकर वाद पत्र में मद नं. 1 में वर्णित आरजी में वादी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

का नाम श्योजीदास चेला चन्दा दास को हजब कर शिवजीदास स्वामी पुत्र चन्दा दास घोषित किया जावे तथा तहसीलदार जी को आदेशित किया जावे कि वादी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अमल श्योजीदास चेला चन्दा दास को हटा कर इन्द्राज दुरूस्त कर शिवजीदास स्वामी पुत्र चन्दा दास अंकित किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी पेदा नही करें।

दावा वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गयी व जवाब सरकार हेतु लिखा गया तो जवाब सरकार इस प्रकार पेश हुआ कि अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से जवाब सरकार निम्न प्रकार सादर प्रेषित हैः–

मद संख्या 1 का मुताबिक राजस्व जमाबंदी ग्राम सूरजपुरा उर्फ टूटोंली सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 567 दर्ज अंकन की हद तक स्वीकार है। मद संख्या 2 के कम में मद संख्या 1 वर्णित आराजी में वादी का नाम श्योजीदास चेला चन्दादास हिस्सा 1/2 जाति स्वामी सा0 बाजडोली खातेदार दर्ज रिकार्ड है। शेष वादी स्वयं सिद्ध करें। मंद संख्या 3 के कम में उक्त खसरा नंबरान के रजि0 विकय पत्र के नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

24.12.1986 में श्योजीदास पुत्र चन्दाराम शेष बदस्तूर अंकित है। शेष बादी स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या 4 से 7 कानूनी है। मद संख्या 8(क) से 8(ग) माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

जवाब सरकार पेश होने पर बहस वकील वादी सुनी गयी तो वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये जवाब सरकार अनुसार दावा वादी स्वीकार किया जाना जाहिर किया गया। वादी वकील ने दावे का समर्थन में ग्राम सूरजपुरा टूटोली की जमाबंदी संवत 2072–75 के खाता संख्या 506, नामान्तकरण संख्या 34 सरपंच प्रमाण पत्र शिक्षा प्रगति पत्र 83–84, चुनाव पहचान पत्र आधार कार्ड, दस्तावेज बतौर सबूत पेश किये गये। वकील वादी की बहस पर गौर किया व दस्तावेज का परीक्षण किया गया तो राजस्व जमाबंदी के अतिरिक्त वादी का नाम अन्य राजस्व रिकार्ड में शिवजीदास अंकित है जिसे जवाब सरकार व सरपंच प्रमाण पत्र एवं चुनाव पहचान पत्र आधार कार्ड के आधार पर नाम वादी का दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम सूरजपुरा टूटोली को जमाबंदी के खाता संख्या 506 के खसरा नम्बर 544, 729, 729/2862, 733, 734 किता 5 रकबा 3.29 है0 में अंकित वादी का नाम श्योजीदास चेला चंदा दास को हजब किया

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

D:\Office\CRT\Shijidaas vs sarkar.docx

जाकर शिवजीदास स्वामी पुत्र चन्दा दास घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.05.22 15:36:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: